SHORT DURATION DISCUSSION ON REPORT OF JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE ON BOFORS CONTRACT

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Atal Bihari Vajpayee.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Madam, I am on a point of order. The points I wish to make are, to my belief, are of substance because there are no rules or precedents that exist on it. However you might rule on them after you have heard me explain them. They will be setting precedents on the subject. The very first question that I would like to raise and I have already written to you about this, is the procedure and the method to be adopted while taking up a report of the House for consideration, particularly when it is the report of the Joint Parliamentary Committee. Here, I would like to make a distinction between the methodology that is being adopted today and that which has been adopted by our Parliament ever since it came into existence. I hold that it is for the first time ever that we are considering the report of a Joint Parliamentary Committee through the medium of a Short Duration Discussion. A Short Duration Discussion in this House, or I believe rule 193 in the other House, is a parliamentary device for airing views, for expressing or giving voice to a concern which is of some immediate public importance. This method adopted, for discussing that which is the substantial enterprise of the two Houses of Parliament, irrespective of the contents of the report is unsatisfactory. If this were merely to be discussed through the medium or the parliamentary device of a Short Duration Discussion, I do not think we are doing justice to a report of a Joint Parliamentary Committee.

Here I would like to quote what May's Parliamentary Practice has to say and what Kaul and Shakdher have to say on the subject. May is very categorical because May says and I am taking an example which is perhaps more applicable to us that "In the House of Lords when it is proposed to take the report of a select committee into consideration" it specifies what procedure must be followed. It can be a select committee of an *ad hoc* nature. And then it says that "On the consideration of a report *motions may be made expressing the* agreement (l), or the disagreement (m) of the House with the report as a whole or with certain paragraphs thereof (n), or for agreeing to the recommendations... (o), or motions may be made which are founded upon, or enforce, the resolutions of the committee or otherwise relevant *to the subject-matter of the report,...*"

Now, we would have accepted and it would have been normal to accept that in an important a matter as the report of a Joint Parliamentary Committee, the Government had come forward with a substantive motion, that they accepted the report or not should have been made known to the House. Had they come forward with a substantive motion, perhaps some of us might have given motions of amendments. I have personally given notice of No-day-yet-named motion. My esteemed colleague has also given notice of the motion, that this report be considered on a substantive motion and not through the medium of a Short Duration Discussion. Had that been done, we would have been entitled to the following: We could have asked for a recommittal of the report, we could have expressed our views on some of the amendments that I have moved. The House could have taken up for consideration whether the Committee ought to go further into investigating the identities behind the companies, that the Committee be reconstituted because it has not taken up evidence which has subsequently come to light, that the Committee go into asking for evidence of such people as the Prime Minister, our Ambassador in Sweden and it has failed...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

SHRI JASWANT SINGH: What do Kaul and Shakdher thereafter say on the subject? They say that reports of committees and of the Houses are of the following kind: Reports which are not discussed, reports which are always discussed, reports which are discussed and adopted and reports which may or may not be discussed. It is not clear, I am not clear.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Madam, on a point of order.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): He is already on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. (*Interruptions*)

SHRI JASWANT SINGH: Will the hon. Minister for Parliamentary Affairs exercise a little bit of restraint? I am in the middle of my point of order and for a Minister of Parliamentary Affairs to interrupt when there is already a point of order is highly unparliamentary. Madam, I am not yielding and if the Minister of Parliamentary Affairs...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): All right, if you are not yielding, I am sitting down.

AN HON. MEMBER: He is the Minister of unparliamentary Affairs.

SHRI JASWANT SINGH: Here is a specific elucidation in Kaul and Shakdher of what are the things we can do with the Committee. Therefore, a number of other questions arise. What is the status of the report that is being discussed? We are not discussing it on a substantive motion; we are discussing it as a Short Duration Discussion. Why should it be a Short Duration Discussion? This is a matter of substance; this is a matter, which you say you have taken so seriously, and which we say is energising the minds of the people of the entire country... (*Interruptions*) So what is the status of the report?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI P. SHIV SHANKER): What notice did you give? You gave a notice for Short Duration Discussion?

SHRI JASWANT SINGH: No, no. Madam, the hon. Minister has asked me a specific question. I gave this as a 'No-day-yet-named' Motion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): This was decided at the Business Advisory Committee meeting where Opposition Members were present.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): This is wrong.

SHRI JASWANT SINGH: Madam, I am sorry the Minister of State for Parliamentary Affairs has made a factually incorrect statement. In the Business Advisory Committee, all that was discussed was that this would be taken up. The mode was not discussed. I did not expect the Parliamentary Affairs Minister to make an incorrect statement.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You go ahead with your submission.

SHRI A. G. KULKARNI: Madam, I want to raise a point of order after him.

SHRI JASWANT SINGH: My second question is: what is the status of the report that we are discussing just now? Is it a recommendatory report? Is it an explanatory report? Or is it merely a simple formality?

On either of these counts, who is to determine the action to be taken subsequently? Or is no action to be taken on a Joint Parliamentary Committee's Report? Is it the stand of the Government that after we have had this Short Duration Discussion, no action is to be taken on what the Joint Parliamentary Committee has done or has not done? Madam, I ask my next question: Is it a report to Parliament? And if it is a report to Parliament, who is its custodian? The Speaker?

Madam, the next question which arises is: what happens to ad hoc Joint Parliamentary Committees when reports are presented? Do they become *functus officio*? Therefore who is to reply to such a debate? This is not an ordinary point. This has to be determined as to who is to reply to such debate? We take it for granted that the Government is to reply to such a debate. If the Government is to reply, or the hon. Minister for Defence is to reply, he did not give evidence to this Committee; he has not been a part of this Committee. So how has he taken upon himself either to condemn or to criticise, or support or not support any action of this Committee? Has the Government officially accepted this report? And if that is so, why has it not come forward with a substantive motion? Has the Cabinet accepted it? If the Government has accepted it, if the Cabinet has accepted it, what stopped it from coming forward with a formal substantive motion on the subject?

Then, as the Government can agree with the report or disagree with the report, therefore we too, as ordinary Members, can either agree or disagree with the report. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: He gave a notice on this; so he wants to raise all these points.

SHRI JASWANT SINGH: Therefore, Madam, I conclude by quoting what happened in 1971 when the Parliament first took up a report of the Joint Parliamentary Committee. The then Prime Minister, late Jawaharlal Nehru, himself moved the resolution in the House for the consideration of that report. Now we are discussing it as a Short Duration Discussion. Madam, I do appeal to you to please take into account what I have said and permit me to raise my motions of amendment on this subject. Thank you.

SHRI A. G. KULKARNI: Madam,...

SHRI H. K. L. BHAGAT: I am sorry, my apologies to you, Mr. Kulkarni, Madam Deputy Chairman, I am really sorry that hon. Member, Shri Jaswant Singh, for whom I have very great regard and who I think is a capable man, has raised a point of order which, I am very sorry to say, I am constrained to say is not a point of order but a point of interruption...

SHRI DIPEN GHOSH: What is yours? Is it a point of order or a point of interruption? (*Interruptions*)

SHRI H. K. L. BHAGAT: Number one, he does not know it....No, we do not want to run away from the debate. Number one, I say it with all sense of responsibility....Please wait now. I said with a sense of responsibility that this matter will be taken up as a Short Duration Discussion. It was discussed in the Business Advisory Committee.

SHRI DIPEN GHOSH: No, no. Who said? You can't quote what transpired inside the chamber.

SHRI H. K. L. BHAGAT: That is number one. ...(*Interruptions*)... Number two: Madam, please read the motion Number three: It was agreed to be allowed. Madam, please read the motion. Who has raised it, who are the Members, whose names are there? The name at the top is that of Mr.

[Shri H. K. L. Bhagat]

Atal Bihari Vajpayee. ...(*Interruptions*) ...Now,, who prevented you? He says, either the Government should have brought a substantive motion or he should have brought it. So, why didn't he bring it? ... (*Interruptions*)...Mr. Vajpayee was saying that we are not providing that opportunity. We know what you are after. You think wrongly that you have got some mantra and you chant the mantra "Bofors," "Bofors." You can never give it up—we know. You are not for truth.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: We have given a joint motion signed by all leaders.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Therefore, Madam, I will end with a couplet. We know, we understand. Therefore, I say:

यार मक़्तल इसमें कटाना छोड़ो,
वादिये हुस्न में जाना छोड़ो,
यह कम्बख्त है न समझने वाले,
इनको मनाना छोड़ो।

SHRI A. G. KULKARNI: Madam Deputy Chairman, I will be very brief. My learned friend, Jaswant Singhji, has raised a point of order and quoted Kaul and Shakdher, May's Parliamentary Practice, etc. Bhagatji, the Minister for Parliamentary Affairs, stated what the Government's view point is.

As a Member of this House, I do feel that the motion which Mr. Vajpayee has brought is already defeated. Now, as Jaswant Singhji has said, they have brought a substantive motion before us and the Chairman or Deputy Chairman, who is presiding, has already, it seems, disallowed it. Only a discussion is allowed. So, a discussion under Rule 176, or whatever it is, has been permitted. So, now there is a no opportunity to discuss a substantive motion and we can go on only with this motion since, particularly in the Rajya Sabha, only Short Duration Discussions are held. Even during the period 1978-1980, a motion against Mr. Kanti Desai was discussed only as a Short Duration Discussion and no substantive motion was brought. So, it was for the Opposition to bring a substantive motion—which you have rejected. So, there is no place whatsoever to discuss that motion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So far as the question of accepting it as a motion or a Short Duration Discussion is concerned, it is a Parliamentary Committee report. Such reports are generally placed before the House and they are not discussed. However, taking into consideration the importance of the subject-matter, as an exception we are taking up this report for discussion, and it was thought more appropriate to discuss it by way of a Short Duration Discussion than by way of a motion. I would like to remind Mr. Jaswant Singh that he has also given notice for a Short Duration Discussion.

(*Interruptions*)

Now, so far as the status of the report and other matters are concerned, the JPC was appointed to inquire into the issues relating to the Bofors contract. So, it was an inquiry committee, a fact- finding committee, and the Committee has presented its report before the House. So, so far as the follow-up action is concerned. Members can give their suggestions during the course of the debate and can also raise some matters which they feel important, and the Government can give its reply to them.

So far as the Committee is concerned now it is *functus officio*, and at present there is no JPC on Bofors and it is not in existence now. Therefore, now it is the Government alone which will reply on the matters which are raised here.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं बोफोर्स सौदे के संबंध में संसद की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा आरम्भ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने 27-28 वर्ष के लंबे संसदीय जीवन में मैंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आरम्भ की है। मैंने अनेक बहसों में भाग लिया है। लेकिन आज मैं अपने को जिस विचित्र स्थिति में पाता हूं वैसी स्थिति मेरे सामने कभी नहीं थी। महोदया, भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब संयुक्त समिति, संयुक्त सदनों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह विभक्त सदनों का प्रतिनिधित्व करती है। यह पहला अवसर है जब संयुक्त समिति में प्रतिपक्ष नहीं है।

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : आप रहे नहीं हमने तो बुलाया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह पहला अवसर है जब संसदीय समिति की अध्यक्षता के लिए संसद के सामान्य सदस्यों में से कोई सदस्य नहीं चुना गया, मंत्रिपद पर बैठे हुए सज्जन से इस्तीफा दिलाया गया और उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

यह पहला अवसर है जब संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का नोट आफ डिसेंट देने का अधिकार अस्वीकार कर दिया। यदि बाहर शोर न मचता, यदि लोक सभा के अध्यक्ष का दरवाजा न खटखटाया जाता तो मेरे मित्र श्री अलादी अरुण को अपनी असहमति प्रकट करने के मूल लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था।

इस्पात और खान मंत्री : श्री माखनलाल फोतेदार) यह कब से आपके मित्र बने?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब से आपकी इनकी मित्रता में थोड़ी सी खटास पैदा हो गई।

महोदया, यह पहला अवसर है जब नोट आफ डिसेंट को नोट आफ डिसेंट के रूप में पेश नहीं किया गया पोस्ट स्क्रिप्ट बना दिया गया। मैं अनेक संयुक्त समितियों का मैम्बर रहा हूं, मैं नोट आफ डिसेंट देता रहा हूं। नोट आफ डिसेंट नोट आफ डिसेंट के रूप में जाना चाहिए, पोस्ट स्क्रिप्ट के रूप में नहीं। यह एक नया आविष्कार है। सचमुच में विश्व के संसदीय विकास में यह भारत का अपना कंट्रीब्यूशन है। रिपोर्ट आएगी, नोट आफ डिसेंट नहीं होगा, खाली पोस्ट स्क्रिप्ट होगा।

उसके बाद भी समिति के अध्यक्ष शांत नहीं बैठे, पोस्ट स्क्रिप्ट के बाद उन्होंने फिर अपनी टिप्पणी भी लगा दी। वह टिप्पणी क्या है? क्या नोट आफ डिसेंट के बाद कमेटी की ओर से कोई और टिप्पणी लगाई जाती है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ।

महोदया, आप कल्पना कीजिए कि अगर हम सब लोग समिति में चले जाते और अलग-अलग नोट आफ डिसेंट लगाते तो अलग-अलग नोट आफ डिसेंट पोस्ट स्क्रिप्ट के रूप में पेश किए जाते और हमारे हर नोट आफ डिसेंट का जवाब भी रिपोर्ट में नत्थी किया जाता। यह स्थिति हास्यास्पद है।

महोदया, जिस तरह से संसदीय समिति का गठन हुआ, जिस तरह से उसके टर्म्ज आफ रेफेंस निश्चित किए गए, जिस तरह से उसकी कार्यवाही चली और मैं श्री अलादी अरुण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समिति की कार्यवाही के संबंध में जो नोट आफ डिसेंट लगाया है वह एक ओर तो हमारी आंखें खोलने वाला है और दूसरी ओर संसदीय समिति की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाने वाला है। जिस तरह समिति के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए, दस्तावेज दिए गए तो उनमें से कुछ अंश निकाल लिए गए। कौन गवाह आने वाला है, उसकी सूचना नहीं। सूचना दी गई कि अटोर्नी जनरल

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं बोफोर्स के आफीसर। मैं चाहता हूं कि अलादी अरुण इस पर विस्तार से प्रकाश डालें, मैं उसको उठाना नहीं चाहता। मगर ये ऐसे पहलू हैं, जिन्होंने हमें व्यथित किया है, पीड़ित किया है। क्या जांच के लिए नियुक्त संयुक्त ससदीय समिति इसी तरह से आचरण करेगी?

जिस तरह समिति ने गवाहियां लीं और जिस तरह समिति ने कुछ महत्वपूर्ण गवाहियां लेने से इकार कर दिया, जिस तरह से बोफोर्स के अधिकारियों के लिए लाल गलीचा बिछाया गया, जिस तरह से विन चढ्ढा को सस्ता छोड़ दिया गया, कौनसी शर्तें लगाई थीं विन चढ्ढा ने, किन शर्त के आधार पर वे भारत आए, मैं इसको विस्तार से उठाना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से समिति ने अंग्रेजी दैनिक "हिन्दू" में प्रकाशित दस्तावेजों को अनदेखा कर दिया, तब तक समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। महोदया, "हिन्दू" एक ऐसा पत्र है, जो केवल दक्षिण भारत का ही पत्र नहीं है, वह भारत का राष्ट्रीय पत्र है। उसके मुख्य संपादक प्रधानमंत्री के मित्रों में गिने जाते हैं। वे विशेष साक्षात्कारों के लिए बुलाए जाते हैं। हम दूरदर्शन पर उनके दर्शन करते हैं, दूर से दर्शन करते हैं। उसने कुछ दस्तावेज छापे। वे दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं और एक नया रहस्योदघाटन है। यह दस्तावेज एक बार फिर बोफोर्स को कटघरे में खड़ा करता है और वह हिन्दुओं को भी सारे मामले में लपेटता है। क्या समिति का यह दायित्व नहीं था कि जब नए दस्तावेज सामने आ गए हैं, नए प्रमाण सामने आ गए हैं, समिति उन प्रमाणों पर भी विचार करे। समिति अगर चाहती तो इसके लिए लोकसभा से अपनी कालावधि बढ़ाने की इजाजत ले सकती थी। लेकिन समिति जल्दी में थी। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति उसे अनुप्रणित कर रही थी, उसे तत्काल कार्य समाप्त करने के लिए प्रेरित कर रही थी कि अगर कोई नया भण्डाफोड़ हो गया, अगर स्वीडन से कहीं और कोई तथ्य सामने आ गया तो पता नहीं समिति का क्या होगा। इसलिए जल्दी-जल्दी बोरिया-बिस्तर लपेटो, जैसे-तैसे रिपोर्ट सबमिट करो। लेकिन क्या इससे समिति की विश्वसनीयता पर प्रश्न-चिह्न नहीं लग गया। बाकी की घटनाएं छोड़ भी दीजिए, इस एक ही मामले ने मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है—यह संसदीय समिति है, हमारे सहयोगी वहां बैठक इस एक घटना ने संसदीय समिति को बेकनाब कर दिया है।

महोदया, कुछ काल से लोकतांत्रिक संस्थाओं का धीरे-धीरे क्षय हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। उस सिलसिले में एक कड़ी और जुड़ गई है। अभी तक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी इस अवमूल्यन से बची हुई थी, कम से कम संसदीय लोकतंत्र की एक संस्था तो सुरक्षित थी, एक संस्था तो ऐसी थी, जिसपर कोई दाग नहीं लगा था, लेकिन इस प्रतिवेदन के साथ वह संस्था भी लोगों के अविश्वास का विषय बन गयी है।

महोदया, इस प्रतिवेदन के बाद जो समाचार-पत्रों ने टिप्पणियां की हैं, मैं उनको पढ़कर समय नहीं लेना चाहता, बुद्धिजीवियों ने जो प्रतिक्रिया प्रकट की है, मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। मार्ग और सण्डे ओब्जर्वर के ओपीनियन पोल से जो परिणाम निकले हैं, मैं उनकी ओर भी इशारा नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि देश का जन-मानस इस संसदीय समिति के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करेगा।

महोदया, समिति नियुक्त की गयी थी सच्चाई का पता लगाने के लिए कि किन्होने दलाली ली है। दलाली ली है, यह निश्चित है। समिति यह पता लगाने के लिए नियुक्त की गयी थी कि किन्होंने दलाली ली; पता लगाने के लिए, पर्दा डालने के लिए नहीं। समिति की जांच के बाद जो वास्तविक अपराधी हैं वे कटघरे

में खड़े होने चाहिए थे। मगर समिति ने यह इस तरह से काम किया कि समिति स्वयं ही कटघरे में खड़ी हो गयी ।

महोदया, समिति के गठन के पहले विरोधी दलों ने जो आशंकाएं प्रकट की थीं वह आशंकाएं सही साबित हो गयी हैं। हमने कहा था कि आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद जांच की जरूरत नहीं है । आडिट ब्यूरो ने जो तथ्य दिए हैं उनके आधार पर और जो तथ्य छिपाए गए हैं, उनके आधार पर बोफोर्स का गला पकड़ो। जांच नहीं, बोफोर्स पर आंच लाओ, दबाव डाओ। बोफोर्स से कहो कि तुम कहते थे कि कमीशन नहीं दिया जायेगा । आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में बात आ गयी है कि कमीशन दिया गया है। यह आडिट ब्यूरो स्वीडन का नेशनल ब्यूरो है । स्वतंत्र संस्था है । उसकी रिपोर्ट के बाद अलग समिति बनाने की जरूरत क्या थी ?

महोदया, जब हम समिति बनाने की मांग कर रहे थे तो सरकार नहीं मानी और जब सरकार ने समिति बनायी तो हमने नहीं मानी । हमने इसलिए नहीं मानी क्योंकि हमारे विचार में इस मामले को किसी संसदीय जांच में उलझाने की जरूरत नहीं थी तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत थी । जांच नहीं, कार्यवाही चाहिए थी ।

महोदया, इस रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया है कि जांच समिति कुछ नहीं कर सकी है। एक कहावत है, "खोदा पहाड़ निकली चुहिया।" यहां तो चुहिया भी नहीं निकली क्योंकि पहाड़ खोदा ही नहीं गया । पहाड़ की परिक्रमा मात्र करके प्रतिवेदन दे दिया गया ।

महोदया, समिति के अध्यक्ष हैं— श्री शंकारानंद । मुझे एक पौराणिक कथा याद आती है । भगवान शंकर के दो पुत्र थे—एक कार्तिकेय और दूसरे गणेश । दोनों में होड़ लगी कि पिता का अधिक भक्त कौन है ? उम्र में भले ही छोटा-बड़ा हो लेकिन कुशाग्र बुद्धि कौन है। तय हुआ कि इसके लिए एक प्रतियोगिता होनी चाहिए । जो विश्व की परिक्रमा करके पहले वापिस लौटेगा वह अधिक बड़ा होगा, अधिक श्रेष्ठ होगा । कार्तिकेय यह तय होते ही विश्व की परिक्रमा पर निकल पड़े । उन्होंने सोचा कि हम विश्व की परिक्रमा करके अभी वापिस आते हैं। गणेश जी ने परिक्रमा नहीं की । वे तो लम्बोदर गजबदन ठहरे, विश्व की परिक्रमा का परिश्रम कैसे उठाते । मगर दिमाग उनका बहुत तेज, कुशाग्र बुद्धि । कार्तिकेय घूम रहे थे । गणेश जी ने सोचा उन्हें घूमने दो, मैं तो शिव की परिक्रमा कर के यह दावा कर लूंगा कि शिव में ही जब तीनों लोक व्याप्त हैं तो खाली पृथ्वी की परिक्रमा का क्या महत्व है ? मैंने तीनों लोक की परिक्रमा कर ली, यह हो जायेगा ।

महोदया, बोफोर्स के आरोपों के पहाड़ की जब चर्चा हो रही थी और कार्तिकेय की तरह से जेठमलानी, जसवंत सिंह, अरुण शौरी, जार्ज फर्नांडिस श्री इंद्रजीत विश्व की परिक्रमा कर रहे थे तो शंकरानन्द ने सोचा कि पहाड़ की परिक्रमा करो और प्रतिवेदन दो।

महोदया, 30 सदस्यों की समिति, 40 से ज्यादा बैठकें, 200 घंटों की, कार्रवाई, 500 फाइलों की जांच-पड़ताल- कितना परिश्रम, कितना कष्ट, मगर परिणाम क्या । परिणाम क्यों नहीं निकला, इस सवाल पर गंभीरता से विचार होना चाहिए । परिणाम नहीं निकला या संसदीय समिति परिणाम नहीं निकालना चाहती थी ।

मुझे खेद है कि जांच समिति ने आवश्यकता से अधिक समय यह बात सिद्ध करने में लगा दिया कि तोप बोफोर्स की तोप, अच्छी है । मान लिया कि तोप अच्छी है तो क्या उसके साथ जो गोलमाल हुआ है वह भी अच्छी है । असली सवाल तोप का नहीं है। नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद एक ही सवाल था कि बोफोर्स ने 64 करोड़ रुपये की धनराशि किसको दी है ? लेकिन समिति ने इसका जवाब ढूंढने पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय यह बताने पर वक्त लगाया कि बोफोर्स की

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]
तोप की मार ज्यादा है। हम जानते हैं मार ज्यादा है, तोप स्वीडन में चलती है, धमाका हिन्दुस्तान में सुनाई देता है। तोप राजस्थान की सीमा पर दागी जाती है और दिल्ली दहल जाती है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब बोफोर्स के साथ समझौता हुआ तो उसका अपना एम्यूनिशन बनाने का प्रबन्ध नहीं था। इटली की एक कम्पनी सैमेल को लाने की बात हो रही थी। और इस दृष्टि से फ्रेंच तोप बेहतर थी।

मैं पुराने सेनाध्यक्ष सुन्दरजी को विवाद में लपेटना नहीं चाहता। उन्हें अपनी राय बदलने का अधिकार है। वे 15 दिन के भीतर भी अपनी राय बदल सकते हैं। अगर परिवेश बदलता है तो राय बदली जा सकती है। लेकिन अब बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के पास राडार आ गया था। क्या यह राडार अमरीका का कोई नया आविष्कार है? क्या वह राडार पहले उपयोग में नहीं था? क्या पाकिस्तान और अमरीका के जो संबंध हैं, इसका अनुमान नहीं था? क्या दूरदृष्टि से इसका विचार नहीं किया जा सकता था क्या फ्रेंच कम्पनी से कहा गया कि नई परिस्थिति पैदा हो गई है, इसका आप तोड़ कैसे निकालेंगे? स्पष्ट है कि सरकार ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया।

महोदया, यह कहा जाता है कि अगर बोफोर्स का करार रद्द कर दिया जाता तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरी निश्चित जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय ने यह राय दी थी कि अगर सौदा रद्द कर दिया जाए तो सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी, हां 6–8 महीने के लिए हमें अपना प्रोग्राम बदलना पड़ेगा।

रक्षा मंत्रालय की यह राय रही है। यह राय मौखिक ही नहीं दी थी, यह राय रक्षा मंत्रालय ने लिखकर दी थी। लेकिन इस राय को अनसुना कर दिया गया मगर क्यों?

बोफोर्स से सच्चाई उगलवाने का एक ही तरीका था। उससे कह दिया जाता कि तुमने समझौते की शर्तों को तोड़ा है, तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का 64 करोड़ रुपया किसने डकारा है, तुम्हें उगलना होगा। अगर नहीं उगलोगे तो करार रद्द कर दिया जाएगा। मैं देख रहा हूं कि रक्षा मंत्रालय बोफोर्स से कड़े शब्दों में बात करता रहा है। जब व्होरा और बनर्जी मिले, ये रक्षा मंत्रालय के आफिसर्स हैं, तो बोफोर्स के अधिकारियों से कड़े शब्दों में बात की गई थी। इस रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की जिन चिट्ठियों का हवाला दिया गया है, उनसे भी ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्रालय सच्चाई जानना चाहता है, रक्षा मंत्रालय समझ रहा है कि जांच में कठिनाई क्या है। मैं रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहता हूं विदेश मंत्रालय का भी रवैया ऊपर से दृढ़ है। 21 अगस्त को इंडियन ऐंबेसेडर जो स्वीडन में उनका ऐडमैमायर है:

> "Keeping in view the gravity attributed to the statements of the Swedish public officials, the Swedish Government is requested to give the complete report of the Swedish National Audit Bureau, including the portions that have so far not been made available to Government of India, without any further loss of time. This information is vital to the work of the Joint Parliamentary Committee which is being set set up by the Indian Parliament to investigate the matter."

कागज पर सरकार यह दिखाती है कि रक्षा मंत्रालय ने तो बड़ी कठोर बातें कही हैं। मैं पढ़ रहा था भटनागर की गवाही, भटनागर ने एक स्टेज पर कहा था कि हम बोफोर्स को धमकी देने लगे हैं कि सच्चाई बताओ। मगर बोफोर्स ने रक्षा मंत्रालय की धमकी नहीं सुनी। रक्षा मंत्रालय ने जिन सवालों को बोफोर्स हैं पूछा था, बोफोर्स ने उनका जवाब नहीं दिया। रक्षा मंत्रालय की धमकी से पड़ोसी देश विचलित हो जाते हैं,

महाशक्तियां फिर से मामले पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। यह महान देश का रक्षा मंत्रालय है, यह बोफोर्स की धमकी दे और बोफोर्स उसकी उपेक्षा करके चला जाए ?

महोदया बोफोर्स दुकानदार है, हम खरीददार हैं। बोफोर्स विक्रेता है, हम ग्राहक हैं। हमने बोफोर्स पर ऐहसान किया है। 1700 करोड़ का रक्षा का सौदा करके। वह आयुद्ध निर्माण कारखाना बंद हो रहा था, बस्तियों में मातम मचा था, उन्हें कांट्रेक्ट की जरूरत थी, हम लोगों ने उनको कांट्रेक्ट दिया। उन पर उपकार किया और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, धोखा-धड़ी की। हम उन पर दबाव नहीं डाल सके, क्यों नहीं डाल सके ? मेरा आरोप है कि बोफोर्स का एक संपर्क था, रक्षा मंत्रालय से संपर्क था, स्वीडन मे हमारे राजदूत से वही कहीं न कहीं नई दिल्ली में बोफार्स का कोई अदृश्य संपर्क था और जब जब बोफोर्स मुसीबत में होता था, कोई उसकी पीठ थप-थपाने निकल आता था कि चिन्ता मत करो, पट्ठे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा वरद हस्त तुम्हारे ऊपर है। कोई मुझ से यह नहीं पूछ रहा है कि अदृश्य सम्पर्क कौन सी थी। क्या बोफोर्स रवैया इस महान देश की प्रतिष्ठा के अनुकूल है ? **(समय की घंटी)** अभी तो गोला बारूद इकट्ठा हो रहा है। अभी तोप को मार करने की स्थिति में तो आने दीजिए। इन्हें धराशाही करना है।

महोदया, क्या यह विडम्बना नहीं है कि बोफोर्स की तोप अच्छी है यह प्रमाण पत्र भी आप को विरोधी दल के दो सदस्य दे रहे हैं जिसका आप रोज-रोज ढिंढोरा पीट रहे हैं। जनरल अरोड़ा और जसवंत सिंह विरोध में हैं मगर वे सेना में अफसर रहे है।

रक्षा मंत्री (श्री क० सी० पन्त) : आप को एतराज तो नहीं है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये अफसर जो बोफोर्स की तोप अच्छी बता रहे हैं वह यह भी कह रहे हैं कि तोप अच्छी है लेकिन कमीशन भी लम्बा दिया गया है। आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे है।

महोदया, आडिट रिपोर्ट के बाद जैसा मैंने उल्लेख किया 64 करोड़ दिये गये यह बात सिद्ध हो गयी है। पहले कहा जाता था नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं की गयी है। जब यह बात सामने आ गयी कि पेमेंट की गयी तो कहा जाने लगा कि पेमेंट की गयी है लेकिन मिडिल मैन कोई नहीं है। आज सवेरे यह सवाल उठा था, मै दुबारा दोहराना नहीं चाहता कि मिडिलमैन की व्याख्या क्या है ? मैं प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री के ऐसे अनेक वक्तव्य बता सकता हूं जिनमें मिडिल मैन, एजेंट्स और रिप्रेजेन्टेटिव्स इन तीनों शब्दों का एक ही सांस में और एक ही साथ उपयोग हुआ है। एटोर्नी जनरल भले ही एक संकीर्ण कानूनी व्याख्या अपनाये; लेकिन जब प्रधान मंत्री ने कहा था सत्ता संभालने के बाद कहा था कि अब सुरक्षा के सौदों में कोई मिडिल मैन नहीं होगा क्या नीयत साफ थी। मिडिल मैन नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा, लेकिन क्या कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अभी कोई मिडिल मैन नहीं है, क्या कोई इन्कार नहीं कर सकता कि एजेंट नहीं है। यह बात अलग है कि एजेंट कौन है, पता नहीं है। तीन कम्पनियों के नाम दे दिए गए। लेकिन इन कम्पनियों का पता नहीं बताया। कौन चला रहा है, कर्ता-धर्ता कौन है, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया ? इसका पता लगाने के लिए भारत की जांच करने वाली तीन एजेंसियों को मैदान में लाया गया। कुमार कहां गए, काले कहां गए, दूसरे कुमार कहां गए, तीसरे कुमार कहां गए ? विश्व भ्रमण करने गए मार खाली हाथ लौट आये।

[उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए।]

पनामा में दो कम्पनियां हैं जिनमें तीन महिलाएं हैं जिन्हें बोफोर्स से कोई

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

लेना-देना नहीं है । वे कंसलटेंसी सर्विस तो दे ही नहीं सकती । पता नहीं उनके साथ करार भी हुआ या नहीं । मैंने कहा था बोफोर्स इस तरह कम्पनियों के नाम बता कर छूट जायेगा । एक कम्पनी जरूर ए.ई. एंड ई सर्विस की है । यह कम्पनी किस की है ? यह लन्दन में स्थित है । क्या स्वराज पाल से इसका कोई सम्बन्ध है ? क्या यह सच है कि जब यह तय हो गया था कि मिडिल मैन नहीं होगा , एजेंट नहीं होगा और जबकि यह अक्तूबर में तय हो गया था, उसके बाद भी बोफोर्स ने इस कम्पनी के साथ समझौता कर लिया । फिर तीन महीने में समझौता समेट लिया गया । 10 करोड़ रुपए दे दिए । दस करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती । अगर दस करोड़ रुपए तिवारी जी को मिल जाते तो कुटीर-कुटीर में ज्योति जगा देते । रेगिस्तान में, शायद बड़े रेगिस्तान में, जलधारा प्रवाहित कर देते । मगर एक कम्पनी दस करोड़ ले गई ।

महोदय, यह विचित्र बात है । प्रधान मंत्री सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि कोई मिडिलमैन नहीं होगा, यह बात बोफोर्स को बता दी गई और यह बात अक्तूबर होने तक उन तक पहुंच भी गई । लेकिन फिर भी एजेंट कायम रहे । इसका सबूत मिला इस संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट में । रक्षा सचिव श्री भटनागर बड़े जोर से बखान कर रहे थे कि हम तोपों के दाम घटाने में सफल हुए । इसके लिए वे समिति का साधुवाद चाहते होंगे । लेकिन इस बढ़ाई को बखानते हुए उन्होंने जो कुछ कहा वह चौंकाने वाला है । उनका कहना है, मैं उद्‌धृत कर रहा हूं ।

"Bofors had quoted on the 10th February a price of Rs. 1,620 crores and came down to Rs. 1,427 crores on the 21st March, which means that within a period of one month and ten days, there was a reduction of near about Rs. 200 crores."

एक महीने दस दिन के भीतर बोफोर्स की तोपों की कीमत दो सौ करोड़ कम हो गई । अब पहले जो कीमतें बताई गई उनके बारे में क्या यह विचार किया जाये कि वे कितनी अनापसनाप थी ? लेकिन एक चमत्कार हो गया एक महीने दस दिन के अन्दर । यह चमत्कार क्यों हुआ, इस पर श्री भटनागर ने जो प्रकाश डाला है, वह सचमुच में देखने लायक है । **Such was the intensity of the competition generated.** ठीक है, कम्प्टीशन का लाभ उठाया गया, इस पर आपत्ति नहीं है । आगे श्री भटनागर कहते हैं—

"As a result of negotiations and as a result of fresh conditions such as the elimination of agents, there was a massive and unexpected reduction in the price."

As a result of negotiations and as a result of fresh conditions such as the elimination of agents!

21 मार्च तक यानी 10 फरवरी से 21 मार्च तक दो सौ करोड़ रुपए दाम घट गये और वे इसलिए घटे कि नई शर्तें लगाई गई । नई शर्त थी इलीमिनेशन आफ एजेंट्स । क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले एजेंट्स थे, 21 मार्च तक एजेंट्स थे । कौन थे एजेंट्स क्या उनके नाम संयुक्त समिति को बताये गए ? हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्री उनके नामों पर प्रकाश डालें । रक्षा सचिव ने मान लिया कि एजेंट्स थे, 21 मार्च तक थे । वे कौन थे ? और जब दिसम्बर में दोनों देशों, स्वीडन और भारत के प्रधान् मंत्रियों के बीच में यह तय किया गया कि कोई मिडिलमैन नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा तो यह जो 21 मार्च तक एजेंट्स थे, क्या यह सरकार की नीति का खुला उल्लंघन नहीं है ? मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री इस पर प्रकाश डाले कि रक्षा सौदे में कोई एजेंट नहीं होगा, कोई बिचौलिया नही होगा, यह सत्ता सम्भालने के बाद,

प्रधानमंत्री ने वह जो घोषणा की थी इसके पीछे मुख्य प्रेरक तत्व क्या थे ? क्या प्रधान मंत्री के सामने कुछ तथ्य आए थे जिनसे उन्हें लगा कि रक्षा के सौदों में भारी धांधली हो रही है, इसलिए मिडिलमैन को, बिचौलियों को, इन सौदों से अलग करना पड़ेगा । क्या यह सच है कि उससे पहले पश्चिम जर्मनी से जो पनडुब्बियां खरीदी गई थी उनमें दलाली और गोलमाल के समाचार निकले थे और उनसे प्रधानमंत्री चिंतित थे ? लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधान मंत्री ने नीति ना दी मगर उस पर अमल नहीं करा सके । आज भी एजेंट काम कर रहे हैं। उस दिन मैंने मारकोनी ग्रुप के बारे में प्रश्न कियाथा और रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि कोई एजेंट और बिचौलिये नही हैं। मैं दस्तावेज देता हूं और साबित कर सकता हूं कि मारकोनी ग्रुप का बिचौलिया है। कल कहें कि मिडिल मैन का क्या मतलब है । क्या मतलब है मिडिल मैन का इसी को जानने के लिए हम अटार्नी जनरल को बुलाना चाहते हैं। शब्दों के सही अर्थ निकाले जाने चाहिए । अर्थ ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट और सही हो, तभी यह बात सिद्ध हो सकती है कि कोई गोलमाल नहीं हुआ है यह समिति इसको सिद्ध नहीं कर सकी ।

महोदय, 17 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडीयो ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि बोफोर्स सौदे में धन इधर से उधर हुआ है और ठेका लेने के लिए प्रमुख भारतीय राजनेताओं और सेना से संबंधित व्यक्तियों को रिश्वत दी गई है। अगर उस दिन भारत के प्रधानमंत्री संसद के सामने आकर, देश की जनता के सामने आकर यह कह देते कि हमारी नीति इस तरह के सौदों में किसी बिचौलिये के भाग लेने की नहीं है और यह जो रेडियो ने घोषणा की है यह गंभीर घोषणा है, इसने हमें चिंतित कर दिया है, हम सच्चाई का पता लगायेंगे, लेकिन यह नहीं कहा गया । यह कहा गया कि जो रेडियो का ब्राडकास्ट है वह फाल्स है, मिस्चीवियस है, बेसलैस है । बिना जांच के यह भी कह दिया गया कि यह भारत की सरकार को अस्थिर करने, डिस्टेबलाइज करने, डिग्रेड करने का एक षड्यंत्र है । एक महान देश की शक्तिशाली, सरकार जो जनता के वोट से चुनी गई है, वह एक रेडियो के ब्राडकास्ट से डिस्टेबलाइज हो सकती है, इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों प्रकट की गई ? उस दिन हमें लगा कि दाल में कुछ काला है । अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है ।

इसके बाद 24 अप्रैल को बोफोर्स ने स्टाकहोम में हमारी राजदूत को एक पत्र दिया । उन्होंने मान लिया कि रुपया दिया गया है, उन्होंने मान लिया कि धन दिया गया है, उन्होंने मान लिया कि एक स्विस कंपनी इसमें शामिल है । यह आडिट रिपोर्ट आने से पहले की बात है । लेकिन उसके बाद भी प्रधान मंत्री कुछ बड़े कमान्डरों की मीटिंग में गए और कहा कि मिडिल मैन नहीं है, कोई पेमेंट नहीं हुआ । क्या प्रधान मंत्री को अम्बेसडर को दी गई बोफोर्स की रिपोर्ट का पता नहीं था ? पता था तो उन्होंने इस तरह का बयान, इस तरह का भाषण कैसा दिया है ? लेकिन यह बात लगातार कही जाती रही है जिससे संदेह और मजबूत हुआ ।

महोदय, मुझे खेद है कि कमेटी ने स्टाकहोम में हमारे राजदूत श्री ओझा को गवाही के लिए नहीं बुलाया मार्टिन एडवो को नहीं बुलाया । मार्टिन एडवो का एक टेप मैंने सुना है जिसमें मार्टिन एडवो कह रहे हैं कि सौदे के सिलसिले में मैं कई बार भारत गया और भारत के प्रधानमंत्री से मिला । उन्होंने एक बात और कही है कि मैं भारत से पाकिस्तान जाता था क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक कंपनी का डाइरेक्टर हूं। पाकिस्तान के खिलाफ उसकी तैयारी को ध्यान में रखकर हम तोपें खरीद रहे हैं और तोपें खरीद रहे हैं उस बोफोर्स से जिसका कर्ताधर्ता पाकिस्तान में कंपनी

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

का डाइरेक्टर था। यह बात वह स्वयं कहता है, इसका टेप मैं सुना सकता हूं। क्या मार्टिन एडबो को बुलाने की जरूरत

2.00 P.M. नहीं थी? क्या समिति के सामने प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए था? जब स्वीडन के प्रधान मंत्री वहां की संसदीय समिति के सामने आ सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते? मेरे मित्र अरूण सिंह को नहीं बुलाया (व्यवधान)। अभी तक मेरे लिए यह रहस्य है श्री अरूण सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। उनकी योग्यता का मंत्री व्यक्तिगत कारण बता कर मंत्रि-परिषद् से चला जाए यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती है और ऐसे मौके पर चला जाए जब उनके मित्र की नैया डावांडोल थी। भ्रष्टाचार के आरोपों की जब-जब हिन्दुस्तान में बौछार पड़ी, जब-जब बौछार बढ़ी, जब-जब स्वीडन से नये तथ्य सामने आए तो लीपापोती की प्रक्रिया शुरू हो गई। संसदीय समिति का गठन भी उसी के अन्तर्गत हुआ। मामला सौंप दो संसदीय समिति को, यह महीनों तक जूझते रहेंगे। तूफान शान्त हो जाएगा, मुंह पर ताले लग जाएंगे लेकिन समिति बनाई गई थी तो समिति को सबको बुलाना चाहिये था। समिति की रिपोर्ट में लिखा गया है, हमने यह कह दिया था जिसको आना हो आए, कोई नहीं आया तो हमारी क्या गलती है? क्या संसदीय समितियां इस तरह से काम करती हैं? क्या पब्लिक नोटिस नहीं दिया जा सकता था? आपको केवल तथ्यों का पता लगाना था और अगर आप तथ्यों का पता लगाने में सचमुच में रूचि रखते हैं यह देश की जनता के गले के नीचे उतारना था। समिति इसमें भी विफल हुई है।

महोदय, समिति ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि रुपए दिये गए। यह तो वह मानते हैं, लेकिन भारतीयों को नहीं दिए गए, न इण्डियंस को दिए गए, न कि नान रेजीडेंट इंण्डियंस को दिए गए, न निवासी भारतीय को दिये गए न प्रवासी भारतीयों को दिए गए। जब आपको मालूम ही नहीं है किस को दिए गए तो किस को नहीं दिये गए यह आपने कैसे पता लगा लिया? उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े विद्वान हैं; वेदों में ब्रह्म की व्याख्या यह कह कर की गई है कि ब्रह्म यह नहीं है, यह नहीं है यह नहीं है, नेति नेति। लगता है कि शंकरानन्द जी ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। भारतीय नहीं है, रेजीडेंट इण्डियन नहीं है फिर कौन है, यह हम नहीं मानते यहां पर वह ब्रह्मज्ञानी नहीं रहते वह माया जाल में फंस जाते हैं।

मुझे तो दुख है कमीशन लिया जाए, कमीशन दिया जाए, 64 करोड़ की भारी रकम इधर से उधर हो जाए और कोई भारतीय उसका लाभ न उठाये। इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कमीशन लेना और देना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कौन तीसरा आ कर हमारे अधिकार पर डोरे डाल कर 64 करोड़ की रकम ले कर चला गया। उसे पकड़ना जरूरी है। पकड़ेगा कौन? कोतवाल कहता है सबूत लाओ। नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट सबूत नहीं है क्या? बोफोर्स जिस तरह से अपना स्टेंड बदलता रहा है क्या वह प्रमाण नहीं है? हम सबूत कहां से लाएं। सरकार को पता लगाना है? कोतवाल घरवालों से यह नहीं कह सकता है की हत्या हुई है यह तो मैं मानता हूं मगर सबूत तुम लाओ आज सरकार यही कह रही है। प्रधानमंत्री ने यही कहा। एक स्टेज पर तो

उन्होंने कहा कि एवीडेंस की भी जरूरत नहीं है, खाली प्रूफ ले आओ। प्रूफ हैं बोफोर्स के पास। आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट के रूप में एक सबूत तो आया था। मैने "हिन्दू" में प्रकाशित दस्तावेजों का उल्लेख किया है। यह "पिटको" कौन है। यह "पिटको" कब प्रकट हुई? इसने कितने अवतार लिए? पिटको का और हिंदुजा की कम्पनी का संगम का मामला क्या है बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुजा कहते हैं कि ये दस्तावेज जाली हैं ? अगर दस्तावेज जाली हैं तो फिर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। हम संयुक्त समिति से तो नहीं, हम तो रक्षा मंत्री से पूछेंगे कि ये जो "हिंदू" ने दस्तावेज प्रकाशित किये हैं, जो फोटो कापियां हैं तो उनके बारे में सरकार की क्या राय है ? क्या इस मामले में "हिन्दू" से बात की गयी। क्या इस मामले में हिंदुजा से बात की गयी।

मैंने पढ़ा है, शायद सही हो, गलत तो नहीं होगा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर मान लीजिए सही है तो ज्यादा से ज्यादा यही साबित हुआ कि हिंदुजा और बोफोर्स का संबंध है। महोदय दस्तावेज हिंदुजा और बफोर्स का संबंध स्थापित करते हैं। हिंदुजा का और बच्चन का संबंध पहले से स्थापित है। बच्चन प्रधान मंत्री के मित्र हैं, इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता है। अब उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। स्वीडन में जो हमारे नये राजदूत भेजे जा रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर उनका चयन किया गया है वे बच्चन परिवार के बचपन से मित्र हैं सरकार को डर है कि पता नहीं स्वीडन से क्या निकल जायेगा, कब निकल जायेगा। स्वीडन के अफसर क्या कहते रहे हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कहा कि हम सच्चाई पता नहीं लगा सके क्योंकि भारत सरकार और स्वीडन सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया...

(व्यवधान)...

यह मत समझिए, कि इस रिपोर्ट के बाद तोपों का मामला ठण्डा हो गया। ये तोपे गरम रहेंगी ? ये तोपे तब तक गरम रहेंगी जब तक अपराधियों को बेनकाब नहीं किया जायेगा। सच्चाई की खोज का काम चलेगा। सरकार की विश्वसनीयता कम हो गयी है, यह बड़े दुख की बात है। एक संसदीय समिति लोगों की नजरों में गिर गयी यह हम सबको पीड़ा पहुंचाने वाली बात है। लेकिन याद रखिए यह मामला दबेगा नहीं। अंततोगत्वा सत्य की जीत होगी। "सत्यमेव जयते, नानृतम"।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shri Arun Singh. If the House agrees, we will adjourn for lunch for half an hour.

The House stands adjourned for lunch and will meet again at 2.40 P.M.

The House then adjourned for lunch at nine minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at forty two minutes past two of the clock. **The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai)** in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE— Contd.

Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) and elated paper

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is a paper to be laid on the Table.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Sir, before the paper is laid on the Table of the House, I have a point of order.

Sir, it is understood that the List of Business is prepared with the consent of the Chair. It is to be emphasised that it was only yesterday that the Finance Bill has been passed. It is also to be emphasised that we are in the midst of the Budget Session. But it is wholly understandable, therefore how this Government works when yesterday the Finance Bill has been passed and today the Government is coming forward with a notification reducing the *ad valorem* duty on something which I cannot even pronounce, from 70 per cent